# <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 700378/2016</u>

### न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 700378 / 2016 <u>इ०फो०</u> संस्थापित दिनांक 04 / 07 / 2016 फाईलिंग नम्बर 2303008142016

TAI PAFETO

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

#### बनाम

- 1. सुनील उर्फ गोढराम पुत्र रामचरण सेजवार आयु 40 वर्ष
- 2. दीपू पुत्र जगदीश सेजवार, आयु 26 वर्ष
- 3. बबीता पत्नि सुनील सेजवार, आयु 35 वर्ष
- कु. काजल पुत्री सुनील सेजवार, आयु 19 वर्ष, समस्त निवासीगण खटीक मोहल्ला, गोहद,जिला भिण्ड म0प्र0

<u>....अभियुक्तगण</u>

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 324 / 34, 323 / 34 एवं 506 भाग 2 भादस) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0 )

# <u>::- **नि र्ण य -**::</u> (आज दिनांक 08 / 12 / 2016 को घोषित <u>कि</u>या)

आरोपीगण पर दिनांक 19.06.16 को सुबह करीबन नौ बजे किशन ए डी आई बोर खटीक मोहल्ला वार्ड कमांक 4 में रोड पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी रूबी को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी रूबी को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरणा में फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे दांतो से काट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं आहत मिथलेश की लात घूसो से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु आरोपी बबीता पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग 2, 324/34 एवं 323/34 तथा आरोपी सुनील एवं दीपू पर भा .द स. की धारा 294, 506 भाग 2, 324/34 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.16 को सुबह करीन नौ बजे

फरियादी रूबी पानी भरने किशन ए डी आई के बोर पर गयी थी, तो वहाँ आरोपी काजल और बबीता ने कहा था कि पहले वह पानी भरेगी, इसी बात पर काजल एवं बबीता, फरियादी रूबी को मां बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगी थी। जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो काजल एवं बबीता ने उसकी लात घूसों से मारपीट की थी, जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी एवं दाहिने पैर में मुंदी चोटें आयी थी। जब उसे बचाने उसकी बहन मिथलेश आयी तो आरोपी सुनील एवं दीपू ने उसकी भी लात घूसों से मारपीट की थी। मौके पर उसकी मां कलावती एवं मोहल्ले के लोगों ने बीचबचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/16 पर अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबध्द किये गये थे। आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी रूबी एवं आहत मिथलेश द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी काजल एवं बबीता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 तथा आरोपी सुनील एवं दीपू को भा.द.स. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी बबीता पर मात्र भा द स. की धारा 324 तथा आरोपी काजल, सुनील एवं दीपू पर भा द स. की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

# 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :—

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.06.16 को सुबह करीबन नौ बजे किशन ए डी आई के बोर खटीक मोहल्ला वार्ड कमांक 4 गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे दॉतो से काटकर उसे स्वोच्छया उपहति कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रूबी अ.सा. 1 एवं मिथलेश अ.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्नके संबंध में फरियादी रूबी अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छ सात महीने पहले की सुबह नौ दस बजे की है। वह पानी भरने बोर पर गयी थीं तो वही पर आरोपीगण भी पानी भर रहे थे, पानी भरने के उपर आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी। अन्य

## <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 700378/2016</u>

कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी, जो प्रदश पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोशित कर सूचक प्रश्न पूछने जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी एवं उसकी बहन मिथलेश की लात घूसो से मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी कोहनी में दाँतो से काट लिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखायी थी।

- 8. आहत मिथलेश अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को आरोपीगण से मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गालौच करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी ह गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौराान आरोपीगण ने उसकी व उसकी बहन रूबी की मारपीट की थी।
- 9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रूबी अ.सा. 1 एवं आहत मिथलेश अ.सा. 2 ने अपने कथन में आरोपगण से मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गालौच करना बताया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि झगडे के दौरान आरोपीगण ने उनकी मारपीट की थी। स्वयं फरियादी रूबी अ.सा. 1 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि झगडे के दौरान आरोपीगण ने उसकी एवं उसकी बहन मिथलेश की मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखायी थी।
- 10. इस प्रकार फरियादी रूबी अ.सा. 1 एवं आहत मिथलेश अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आ रोपीगण द्वारा मारपीट करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। ऐसी स्थित में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 11. यह अभियोजन दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूध्द अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरूध्द मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषम्कित उचित है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 19.6.16 को सुबह करीबन नौ बजे किशन ए डी आई के बोर खटीक मोहल्ला वार्ड क. 4 गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे दॉतो से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित काारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी बबीता को भा.द.स. की धारा 324 एवं आरोपी काजल, सुनील तथा दीपू को भा द स. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### 4 आपराधिक प्रकरण कमांक 700378 / 2016

- आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। 13.
- प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। 14.

स्थान - गोहद दिनांक - 08/12/2016 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। सही / – WIND A PARTO (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

